हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

नाम में परिवर्तन का आवेदन पत्र

•		
ਜ	17	

- 1. आवेदक पृष्ठ संख्या चार—4 पर दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार आवेदन पत्र भरें, अति सावधानी से बोर्ड प्रमाण पत्र के अनुसार नाम की स्पेलिंग (वर्तनी)लिखना अनिवार्य है।
- 2. आवेदक को अपने पुराने नाम के साथ आवेदन पत्र और हलफनामा पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

	आवेदक द्वारा	की गई घोषणा	
मैं (पुराना नाम)	पुत्र / पुत्री 🖇	ስ	एनरोलमैन्ट (यदि
कोई है।)	सविधि व सत्य निष	ट्ठा से घोषणा करता	हूँ कि इस विषय में बोर्ड की
मंजूरी/सहमति से मैंने मे	रा नाम	से अबसे	बदल लिया है और
यह कि			
(क) मैं नाबालिग हूँ और	मेरे माता–पिता / संरक्षक	द्वारा न्यायाधिकारी	के सामने शपथपत्र/हलफनामा
दिया गया / मैं बालिग हूँ	और मेरे द्वारा न्यायाधिका	री के सामने दिया ग	या शपथपत्र/हलफनामा संलग्न
है			
हरियाणा विद्या	इमांड ड्राफ्ट नं0 लय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के ज्यादिनां	पक्ष में जारी किया	
(ख) परीक्षाओं का विवरण	, जिनमें मैंने भाग लिया है	और भाग ले रहा हूँ	्रं निम्नलिखित है।
परीक्षा का नाम	परीक्षा का वर्ष और मास	अनुक्रमांक	परिणाम उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण
1			-
2 3			
4			
(ग) संलग्न मूल प्रमाण पर	गें की सूची		
1	2 3		4

अखबार की कतरन जिसमें मैनें अपने नाम में बदलाव	की सूचना दे रखी	हैं। यहां चिपकाई गई है।
	प्रकाश	ार पत्र का नाम गन स्थान शन तिथि
नाम में प्रस्तावित बदलाव (स्पेलिंग, सरनेम या सब कास्ट) विज्ञापन के अनुसार होना चाहिए	पूराने नाम के सा पूर्ण पता	ावेदक के हस्ताक्षर 1थ
तारीख :	 पिन कोड फोन न0	
(बोर्ड कार्यालय द्वार	। भरा जाना है)	
नाम में परिवर्तन से संबन्धित सभी औपचारिकताएं आवेदक द्वारा नियमानुसार पूरी कर ली गई हैं; आवेदक के परीक्षा परिणाम से संबंधित सभी पहलुओं / की जांच कर ली गई है। अब बोर्ड के दस्तावेजों में आवेदक का नामउर्फ नाम/पिता/माता का नाम से होगा।	'बिन्दुओं र /	अन्तिम आदेश मैं प्रस्तावित परिवर्तन की अनुमति दी जाती है।
लिपिक सहायक	अधीक्षक	सहायक सचिव
उन छात्रों के लिए घोषणा जिन्होंने केवल दसवीं या और बोर्ड में नामांकित (एनरोल) नहीं है। (आवेदक अपना पुराना नाम संबंधित घोषणा में लिखें		
घोषणा सं	ख्या १	
मैंपुत्र/पुत्रीहिरयाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के किसी मान्य अभी तक इस बोर्ड में नामांकन नहीं करवाया है।	सत्यनिष्ठा र ता प्राप्त विद्यालय	ने घोषणा करता हूँ कि मैंने में दाखिला नहीं लिया है और
हस्ताक्षर सत्यापित करने वाले अधिकारी का नाम व पद (कार्यालय मोहर)		अवेदक के हस्ताक्षर तारीख

उन विद्यार्थियों की तरफ से घोषणा जिन्होन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला नहीं लिया है, लेकिन प्राईवेट (स्वयंपाठी) पढाई की है।

घोषणा संख्या 02

肖	पुत्र / पुत्री	सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैंने गि मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला नहीं लिया
है, लेकिन प्र	ाद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के किर ग्राईवेट (स्वयंपाठी)पढाई की है। 	ी मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला नहीं लिया
	 ि अधिकारी का	आवेदक के हस्ताक्षर दिनांक
पद-नाम कार्यालय मे		
	विभाग के मुखिर	।। द्वारा प्रमाण पत्र
क्रमांक :		दिनांक :
बार्ड, भिवान क) ख)		से नौकरी (सेवा)कर रहा है।
		हस्ताक्षर पद—नाम कार्यालय मोहर
भिवा	ानी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय मे	है जो सेवा में है लेकिन कभी भी शिक्षा बोर्ड, हाजिर नहीं रहे है। ऐसे आवेदकों को अपना तरफ से भेजना चाहिए जहां वे सेवारत है।
	द्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से मान्य हाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रमाण प	ाता प्राप्त संस्था के मुखिया या विश्वविद्यालय से त्र :
क्रमांक :		दिनांक :
	प्रमाण पत्र	ा संख्या 02
बोर्ड, भिवान क)इ ख) था/	ी को अग्रेषित है :— स परिवर्तन से कार्यालय को आपत्ति आवेदक वर्षमें इस वि	द्यालय / संस्था की कक्षा का विद्यार्थी
		हस्ताक्षर पद—नाम कार्यालय मोहर

हलफनामा संख्या 1, 2 और 3 का स्व	टांप पेपर पर जारी करें। संख्या—01
नाबालिग आवेदक की स्थिति में हत नाम से हस्ताक्षर करें)	नफनामा पत्र (आवेदक संबन्धित हलफनामें पर अपने पुराने
	सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री । आयु है और उसने अपना नामसे अबसे रिवह एक ही व्यक्ति है।
हस्ताक्षर	आश्रित / पिता / अभिभावक
मजिस्ट्रेट (न्यायाधिकारी) स्थान	पूरा पता
कार्यालय मोहर	पिन कोड मोबाईल न0
	 संख्या –02
बालिग आवेदकों की स्थिति में हलफ	नामा पत्र
मैं (पुराना नाम)	पुत्र / पुत्री श्रीसत्यनिष्ठा से घोषणा
	उारह वर्ष से ऊपर) हूँ और मैंने नामसे अब
हस्ताक्षर	शपथकार
(न्यायाधिकारी)	आवेदक (पुराना नाम)
स्थान	पूरा पता
कार्यालय मोहर	
	संख्या –03
विवाहित महिला आवेदक की स्थिति	में हलफनामा पत्र
मैं (पुराना नाम)पुत्री	श्री रापथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि मैं
बालिग (अट्ठारह वर्ष से ऊपर) हूँ अं	ौर मैंने नाम से अब
विवाह के कारण बदल लिया है और	मैं एक ही व्यक्ति हूँ।
हस्ताक्षर	शपथकार
(न्यायाधिकारी)	आवेदक (पुराना नाम)
स्थान	पूरा पता
कार्यालययी मोहर	

सेना के व्यक्ति के आवेदन की स्थिति में अपनी यूनिट के कमांडिंग ऑफीसर द्वारा प्रमाणित। केवल निम्नलिखित व्यक्तियों से प्रतिहस्ताक्षरित स्वीकार किए जाएंगे :

1. राजपत्रित अधिकारी 2. प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 3. हेड मास्टर/प्राचार्य मान्यता प्राप्त स्कूल या संबन्धित महाविद्यालय का 4. बोर्ड का वह अधिकारी जो सहायक सचिव से नीचे के स्तर (रैंक) का ना हो।

व्यक्ति स्वयं ही अपने नाम परिवर्तन के लिए स्वयं ही अपना आवेदन करेगा/भरेगा।

- क. नियमित विद्यार्थी की स्थिति में उसके द्वारा प्रवेश लिए गए अन्तिम विद्यालय/महाविद्यालय के मुखिया/प्राचार्य द्वारा।
- ख. स्वयंपाठी विद्यार्थी कि स्थिति में एक राजपत्रित अधिकारी या किसी उच्च / वरिष्ठ माध्यमिक मान्यता प्राप्त विद्यालय के मुखिया / प्राचार्य या शिक्षा बोर्ड के अधिकारी जो सहायक सचिव के पद से कम न हो या सरकारी कर्मचारी की स्थिति में संस्था के मुखिया द्वारा जिसमें वह कार्यरत है।

संलग्न करें

- i. निर्धारित शुल्कः 500/-रूपये प्रमाण-पत्र शुल्क जमा 300/-रूपये प्रति शुद्धि शुल्क या अधिकतम शुल्क 1100/-रूपये।
- ii. उसके माता—िपता या सरंक्षक द्वारा यिद वह नाबालिग है यिद व बालिग है तो स्वयं द्वारा दण्डाधिकारी के समक्ष अपने वर्तमान एवं प्रस्तावित नाम से सम्बन्धित हलफनामा।
- iii. दैनिक समाचार पत्र के विज्ञापन की कतरन जिसमें प्रस्तावित नाम परिवर्तन का विज्ञापन किया है।
- iv. उपनाम में परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक प्रस्तावित नाम और पहले से दर्शाए गए नाम में कोई संबंध नहीं है यह नियम उन महिलाओं पर लागू नहीं होता जिन्हे शादी के कारण अपना नाम बदलना पड़ता है।
- v. जिस महिला प्रार्थी को शादी के कारण अपना नाम बदलना पडता है। उसे केवल मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित एक हलफनामा ही जमा करवाना है। किसी अखबार में विज्ञापन की आवश्कता नहीं है।
- vi. बदले हुए नाम के साथ अनुलिपि प्रमाण पत्र निर्धारित शुल्क की अदायगी एवं मूल प्रमाण पत्र लौटाने की स्थिति में ही जारी किया जा सकता है। यह शुल्क उस शुल्क से अतिरिक्त होगा जो नाम परिवर्तन के लिए अदा किया गया है।

नोटः – किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

		1
	rt	

Case No								
(to be le	eft l	bla	ar	١k	(

Board of School Education Haryana, Bhiwani

FORM OF APPLICATION FOR CHANGE IN NAME

- Note:- 1. The Applicant should carefully read the instructions given on page 4 and comply with the same before filling in the form, Utmost care should be taken to write correct spellings of Name according to the Board Certificates.
 - 2. The Applicant should sign the application and also the affidavit with old name.

		Declaration to be sul	bmitted by the applicant	
	I (Old Name)		Son/daughter	of Sh
	Enrolment No. (if	any)	do hereby solemn	ly declare that subject to
	the sanction of the	e Board, I have changed my	y name	
	From		To	
	and that:-			
(A)	A) I am minor and an affidavit duly sworn before the magistrate by my parents/guardian or I am			nts/guardian or I am major
	and an affidavit du	uly sworn before the Magist	rate by myself is enclosed h	nerewith.
(i)	Bank Demand D	raft(s) which is also encl	osed herewith No	
	Date		Value Rs	
	(D.D. should be d	rawn in favour of Secretary	, Board of the School Educa	ition, Haryana, Bhiwani, or
(ii)	Board's Receipt N	lo. and date		
	(if fee has been de	eposited in office through c	ash stream)	
(B)	The Particulars of	the examinations taken an	d being taken by me/are as	under:-
Nam	e of Examination	Month and Year of Exam.	Roll No.	Result (Passed or failed)
1				
2				
3				
4				
(C)	The following cert	ificates in original are sent	herewith:	
1		2	3	
4				

-2-

The cutting from the newspaper in which in I	have notified the change in my name is pasted below:-			
1	Name of Newspaper			
Į į	Place of Publication			
1	Date of Publication			
(Spellings/surname/ sub caste of the				
proposed change in name should be	(Signature of the applicant			
according to the advertisment)	with the old name)			
abboraing to the davortionionly	Complete Address:-			
Date	Complete Address.			
Date				
	Pin			
	Code			
	Mobile No			
(TO BE FILLED IN BY	THE BOARD'S OFFICE)			
The applicant has completed all the	ne FINAL ORDERS			
formalities regarding change in name under the	ne di anno in anno a			
rules, particulars reg. exams, results of the	Change in name as			
applicant have been verified, The name of the	recomended is allowed.			
applicant in the Board record will no				
bealias/nee				
Dealing Clerk Assistant Superinte	endent Assistant Secretary			
	· ·			
Declaration in the case of these who have no	assed only the Matriculation or Higher Secondary Part I			
·	·			
or Higher Secondary Part II Examination and are not	t Enroled Students.			
[Applicant should write and sign his/her old na	ame in the Declaration/ certificate concerned]			
	claration No. 1			
	n/daughter of			
do hereby solemnly declare that i did not join any sol	•			
Haryana, Bhiwani and have not so far been enroled				
Tranyana, Briwani and have not 30 far been emoled	in the Board.			
Signature	(Cignoture of applicant)			
(of attesting authority)	(Signature of applicant) Dated			

Designation..... (Official Stamp)

Declaration in the case of those who did not join any school recognised by the Board of School Education Haryana, Bhiwani but studied privately.

	DECLARATION OF THE PROPERTY OF	
do hereby s		ughterl recognised by the Board of School Education,
Signature	(of attesting authority)	(Signature of applicant) Dated
Designation (Official Sta	n mp)	
Fad Na	Certificate by the Head	
Ena. No	 CERTIFICA ⁻	Date ΓΕ ΝΟ. 1
For the followin		ucation Haryana, Bhiwani for necessary action with
(a) (b) (c)	The office has no objection to this chang The applicant is employed in this offices The entries made overleaf have been ve	ince
		Signature
		Designation(Official Stamp)
on the rolls		lidates who are in service but have never remained chool Education Haryana, Bhiwani. Such candidates
or a	cificate by the Head of the recognised institut Principal of an affilliated college to a Univers	ion, Board of School Education Haryana, Bhiwani sity, being attended or last attended, Date
Forv the followin		ΓΕ NO. 2 ucation Haryana, Bhiwani for necessary action with
(b)		class of this school in the
	year The entries made overleaf have been verifie	d and found correct.
		Signature
		Designation(Official Stamp)
AFFIDAVIT	NO. 1-2 & 3 SHOULD BE SUBMITTED ON	STAMP PAPER
the affidavit	concerned.)	(Applicant should write and sign her old name in
do hereby s	solemnly declare that my son/daughter/ward	aughter ofis below eighteen years and had changed his/herto
	nsent and that he/she is one and the same p	
Signature (Magistrate		Deponent (Father/Guardian) Full address
(Office stan	np)	

No. 2 Form of affidavit in the case of major applicants

I (Old name)	I (Old name)son/daughter of Shri		
do hereby solemnly declare that I am a major (ov			
and that I am one and the same person.			
Signature(Magistrate)	Deponent Applicant (Old name) Full address:		
Place			
(Official Stamp)	Dia Onda		
	Pin Code		
	Mobile No.:		
	No. 3		
Form of affidavit in the case	of women applicants who are married		
do hereby solemnly declare that I am a major (ov	todue to		
Signature(Magistrate)	Deponent Applicant (Old name) Full address:		
Place			
(Official Stamp)			
	·		

In case of Military personnel the applicant can get it attested by the commanding officer of his unit. Attestation of the following persons only will be accepted:

- [1] Gazetted Officer [2] First Class Magistrate [3] Headmaster/Headmistress/Principal of a recognised High/Senior Secondary School or of an affiliated college [4] An Officer of the Board not below the rank of Assistant Secretary.

 A person applying for change of his/her name in the Board shall submit his/her application.
- [a] In the case of regular student, through the Principal/Headmaster/Headmistress of the College/School last attended by him/her.
- [b] In the case of private candidate, through a Gazetted Officer or the Headmaster or the Principal of a recognised High/Senior Secondary School or an Officer of the Board not below the rank of an Assistant Secretary, or [in the case of a Government employee] through the Head of the Department in which he/she is employed.

Accompanied by:

- i) A fee of Rs. 300/- per correction, Rs. 500/- per certificate and maximum fee for correction Rs. 1100/- .
- ii) An affidavit relating to his present and proposed names duly sworn in the presence of a Magistrate by his/her parents or guardian in case he/she is a minor or by himself/herself in case he/she is major, and
- [I] A cutting from a daily newspaper in which the proposed change of name has been advertised.
- [II] Change in surname is not permissible unless there is any link between the proposed and the one already shown against his/her name. This rule does not apply to women candidates who change their names due to marriage.
- [III] Women candidates change in whose name has been made due to marriage, have only to submit an affidavit duly attested by a magistrate to this effect. Advertisement in a newspaper is not necessary.
- [IV] Duplicate certificate with changed name can be issued on payment of the prescribed fees and on return of the original certificate. This fee will be in addition to the paid for change in name.